न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री...

अनवान .... बनाम ....

प्रकरण संख्या ..../ अन्तर्गत धारा..

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जो इ... पालन...
14/12/22	वादी अधिवक्ता उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य नहीं होने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 33/2010

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बलदेव सिंह पुत्र पाल सिंह जाति जटसिख निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर। 2. गुरदेव सिंह पुत्र पाल सिंह जाति जटसिख निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।		1. बूटा सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 33 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. गुरमुख सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एच तहसील श्रीकरणपुर। 3. परनाम सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एच तहसील श्रीकरणपुर। 4. बलजिन्द्र कौर पत्नी गुरमुख सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एच तहसील श्रीकरणपुर। 5. सुखदीप कौर पत्नी गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 6. लखवीर सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एच तहसील श्रीकरणपुर। 7. किशनो बाई पत्नी गुरदयाल सिंह पुत्री गुरदत सिंह जाति रायसिख निवासी 14 के. डाक खाना अनुपगढ तहसील अनुपगढ। 8. तारो बाई पत्नी रेशम सिंह पुत्री गुरदत सिंह जाति रायसिख निवासी बसीर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। 9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,91,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 21.06.2010

उपस्थितः **1.श्री इन्द्रजीत सिंह अधिवक्ता वादीगण**

--निर्णय-- **दिनांकः १५ .12.2022**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि गुरदत सिंह पुत्र चनण सिंह जाति रायसिख निवासी 16 एस के नाम चक 16 एस के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 2 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 7/2 के 4 बिस्वा, किला नम्बर 9 ता 13 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 18/1 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 19 ता 21 प्रत्येक सालम-सालम कुल 12 बीघा 16 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 22 के 15 बीघा नहरी, किला नम्बर 6 के 15 बिस्वा, किला नम्बर 7,8,9,12,13,14,17,18,23,24 प्रत्येक सालम-सालम व किला नम्बर 15 के 18 बिस्वा, 16 के बिस्वा 18 बिस्वा, किला नम्बर 19/1 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 25 के 18 बिस्वा कुल 27 बीघा 16 बिस्वा नहरी भूमि अलॉट हुई जो उसके नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। गुरदत सिंह अलाटी ने दिनांक 24.05.1971 को अपनी उक्त अलाटशुदा भूमि से चक 16 एस के मुरब्बा नम्बर 17 में से किला नम्बर 1 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 2 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 8 ता 11 सालम-सालम कुल 5 बीघा 16 बिस्वा का बेचान जरिए पंजीकृत बैयनामा सुखदेव कौर पत्नी जागर सिंह को करके कब्जा मौका पर उसी दिन संभला दिया था। सुखदेव कौर पत्नी जागर सिंह जाति जटसिख निवासी जीरा पंजाब हाल चक 33 एच ने उक्त भूमि मुरब्बा नम्बर 17 के 5 बीघा 16 बिस्वा, किला नम्बर 1 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 2 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 8 ता 11 सालम-सालम कुल 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि का बेचान दिनांक 11.06.1974 को जरिए पंजीकृत बैनामा गुरदेव सिंह वादी संख्या 2 को कर दिया। कब्जा मौका पर वादी संख्या 2 संभला दिया था।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

लेकिन आज तक उक्त भूमि का इन्तकाल ना तो सखदेव कौर के हक में दर्ज हुआ ना ही गुरदेव सिंह वादी संख्या 2 के हक में दर्ज हुआ। गुरदत सिंह अलाटी ने दिनांक 24.05.1971 को अपनी अलाटशुदा भूमि में से चक 16 एस के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 12 सालम, किला नम्बर 13 सालम,किला नम्बर 18 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 19 ता 22 के 4 बीघा कुल 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान जरिए पंजीकृत बैयनामा बहक राम सिंह पुत्र ईश्वर सिंह जाति जटसिख निवासी 16 एस को कर दिया, कब्जा भी उसी दिन मौका पर खरीदारान को संभला दिया। दिनांक 11.06.1974 को राम सिंह ने अपनी उक्त खरीदशुदा भूमि का बेचान वादी संख्या 1 बलदेव सिंह को करके कब्जा मौका पर दे दिया। अब इस भूमि पर कुल 12 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर वादीगण का कब्जा खरीद से चला आ रहा है। हाल कब्जा भी वादीगण का है। उक्त बैयनामाजात का इन्तकाल अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। इस कारण जमाबन्दी में भी नाम नहीं आ सका। लेकिन हाल जमाबन्दी 62/58 सम्वत 2063 ता 66 दर्ज हुई। उसमें प्रतिवादीगण का नाम दिया गया है व इन्तकाल संख्या 429 विरास्तन किया है। इसमें अधिकतर इन्द्राज गलत है। जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि वादीगण के द्वारा खरीद की गई है। इन्तकाल संख्या 429 जो जमाबन्दी संख्या 62/58 में दर्ज किया गया वह पटवारी हल्का व सरपंच हल्का से गलत दर्ज करवा कर गलत तस्दीक करवाया है। जबकि इन्तकाल दर्ज करते समय कब्जा आदि के बारे में कोई जांच नहीं की गयी। जबकि भूमि पर कब्जा वादीगण का था। भूमि भारत सरकार की थी। तो भी काबिज व्यक्तियों को नोटिस देकर सुना जाता व उन्हें शास्ति आदि लगाकर उनके नाम भूमि नियमित की जाती वह भी नहीं किया गया। इस कारण भी इन्तकाल गलत दर्ज किये गये है। जो काबिल खारिज के है, जिन्हें खारिज किया जावे। वादीगण उक्त वर्णित भूमि को अपने नाम अलग-अलग दर्ज करवाने के अधिकारी है व अन्य सहखातेदारों के नाम जमाबन्दी संख्या 62/59 सम्वत 2063 ता 2066 हटवाये जाने के वादी अधिकारी है। वादीगण ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण को उन द्वारा खरीद की गई भूमि उनके नाम दर्ज करवाने को कहा तो वह आज कल का कहकर टाल-मटोल करते रहे। आखिर आज के 15 रोज पूर्व भूमि को नाम करवाने से साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सादर डिक्री फरमाया जावेः- कि चक 16 एस के मुरब्बा नम्बर 17 किला नम्बर 12 के 13 बिस्वा, किला नम्बर 13 सालम,किला नम्बर 18 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 19 ता 22 प्रत्येक सालम-सालम कुल 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादी संख्या 1 बलदेव सिंह को व चक 16 एस के किला नम्बर 12 के 7 बिस्वा, किला नम्बर 1 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 2 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 8 ता 11 प्रत्येक सालम-सालम कुल 6 बीघा 3 बिस्वा का वादी संख्या 2 को खातेदार घोषित किया जाकर दोनों के नाम अलग से कागजात माल में अन्य सहखातेदारों से बंटवारा करवाया जाकर बतौर खातेदार कागजात माल में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे। वादीगण के नाम अलग से खाता व लगान कायम किया जावे। उक्त भूमि के संबध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री गंगाराम प्रसाद शर्मा उपस्थित आए व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार प्रतिवादीगण विवादित भूमि के खरीददार है। इन्तकाल संख्या 429 सही दर्ज किया है। चक 16 एस के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1 की 18 बिस्वा किला नम्बर 2 की 18 बिस्वा, किला नम्बर 7/2 की 4 बिस्वा कुल 2 बीघा नहरी भूमि तथा मुरब्बा नम्बर 22 के 15 बीघा नहरी भूमि प्रतिवादीगण की खरीदशुदा भूमि है। प्रतिवादीगण खरीददार भूमि के मालिक खातेदार हो चुके है। वादी का दावा चलने योग्य नहीं है। अतः जवाबदावा पेश करके निवेदन है कि दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा वादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 के हिस्से तक प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के विरूद्ध वाद परित्याग किये जाने की अनुमति दी गई। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर जवाब स्टेट बंद किया गया। साक्ष्यवादी में गवाह गुरदेव सिंह उपस्थित आया। शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री डूंगरपुर

वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 16 एस की जमाबन्दी सम्वत 2036 ता 39 के खाता संख्या 92/69 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-2 बैयनामा दिनांक 24.05.1971 गुरदत सिंह बहक सुखदेव कौर की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-3 बैयनामा दिनांक 11.06.1974 सुखदेव कौर बहक गुरदेव सिंह की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-4 बैयनामा दिनांक 11.06.1974 राम सिंह बहक बलदेव सिंह की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-5 चक 16 एस की जमाबन्दी सम्वत 2035 ता 68 के खाता संख्या 62/58 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श- 6 ता 8 असल पानी की पर्चीयां, प्रदर्श- 9 ता 21 सिचाई विभाग मामला की असल प्रतियां स्वंय वादी गुरदेव सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। गवाह हरबंश सिंह का साक्ष्य शपथपत्र जो सामिल पत्रावली है। जिरह वकील प्रतिवादीगण के द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्द की गई। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के अधिवक्ता के द्वारा पत्रावली पर अंकित किया कि मुझे प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की ओर से पैरवी की हिदायत नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

हमने बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि पंजीकृत बैयनामा दिनांक 11.06.1974 की रूह से चक 16 एस के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 2 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 8 ता 11 सालम-सालम कुल 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि का वादी संख्या 2 गुरदेव सिंह को खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया है। प्रदश-1 चक 16 एस की जमाबन्दी सम्वत 2036 के खाता संख्या 92/69 के मुरब्बा नम्बर 17, 22 की 27 बीघा 16 बिस्वा भूमि गुरदत सिंह पुत्र चनन सिंह जाति रायसिख साकिन, देह पुख्ता अलॉटी गैरखातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। गुरदत सिंह के द्वारा उक्त गैरखातेदारी भूमि में से 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि का पंजीकृत बैयनामा राम सिंह के पक्ष में व 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि का पंजीकृत बैयनामा सुखदेव कौर के पक्ष में निष्पादित करवाया है। जिसका इन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं हुआ। रामसिंह के द्वारा उक्त 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बैयनामा वादी संख्या 1 बलदेव सिंह के पक्ष में व सुखदेव कौर के द्वारा उक्त 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि का बैयनामा वादी संख्या 2 गुरदेव सिंह के पक्ष में निष्पादित करवाया गया है। उक्त भूमि का नामान्तरण भूमि गैरखातेदारी होने के कारण दर्ज नहीं किया गया। वर्तमान में उक्त 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। लिहाजा गुरदत सिंह के द्वारा 5 बीघा 16 बिस्वा गैरखातेदारी भूमि सुखदेव कौर को विक्रय की, व सुखदेव कौर ने 5 बीघा 16 बिस्वा गैरखातेदारी भूमि वादी संख्या 2 गुरदेव सिंह को विक्रय की है। वादी संख्या 2 गुरदेव सिंह के द्वारा उक्त गैरखातेदारी भूमि क्रय की है, जो अवैध क्रय की श्रेणी में आती है। नियम विरूद्व किए गए बैयनामा दिनांक 11.06.1974 के आधार पर वादी संख्या 2 को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः वादी संख्या 2 का वादपत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 53, 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली-भांति साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{**सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 14 .12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{**सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
बलदेव सिंह आदि बनाम बूटा सिंह आदि
धारा अन्तर्गत **88, 53, 91, 188 आरटीए** मुकदमा नं. **33/2010**
निर्णय दिनांक :- 14.12.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 53, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 14.12.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{**सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**04**	**00**

{**सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)